कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश

वन भवन, 'ए ब्लॉक', भू–तल, लिंक रोड़ नं0 2, तुलसी नगर, भोपाल 462003
Tel&Fax 0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/निर्वर्तन/ 2025/ 172 भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश

विषयः– **नीलाम में डिपो से अपसेट प्राईस पर ईमारती लकड़ी की सीधी बिक्री।**

संदर्भः– म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/समिति/11/2002/974 दिनांक 23.11.2002, कार्यालयीन पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/2002/4355 दिनांक 30.11.2002 एवं पत्र क्रमांक /निर्वर्तन/748 दिनांक18.02.2003

***

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त संदर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशानुसार सीधी बिक्री की कार्यवाही की जाना है, क्योंकि वर्तमान में ई–नीलामी प्रक्रिया प्रचलित है तथा विभिन्न काष्ठागारों में अविक्रित लॉटों की संख्या अत्यधिक है, जिसके कारण प्रचलित ई–नीलामी के साथ साथ वर्ष 2002 में दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप ईमारती लकड़ी की सीधी बिक्री किया जाना नितांत आवश्यक है।

संदर्भित पत्र क्रमांक /निर्वर्तन/748 दिनांक 18.02.2003 का भी अवलोकन करें तथा सीधी बिक्री से निर्वर्तित किये जाने वाले लॉटों में आवश्यक सावधानी रखी जाए। वर्तमान में ई–नीलामी की प्रक्रिया प्रचलित है, अतः सीधी बिक्री से निर्वर्तित किये जाने वाले लॉटों का विवरण ई–नीलामी पोर्टल पर आगामी नीलाम से पूर्व निर्धारित समय–सीमा में प्रविष्ठ किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे की आगामी ई–नीलाम में रखे जाने वाले अविक्रित लॉटों के संबंध में किसी प्रकार की भ्रांति क्रेताओं में न रहे।

इसका व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

13/1/25
(एच.यू. खान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

पृ. क्रमांक/ वनिस/निर्वर्तन/ 2025/ 173 भोपाल, दिनांक 13/01/2025

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
2. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/(उत्पादन) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म.प्र.भोपाल

म0प्र0 शासन वन विभाग

क्रमांक/समिति/11/2002/974 भोपाल दिनांक 23 .11.2002

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश ,भोपाल.

विषय :— वनोपज के काष्ठागारों से निर्वर्तन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन बाबत।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अन्तर्विभागीय समिति की बैठक दिनांक 30/10/2002 में (विषय क्रमांक 14) लिये गए निर्णय के अनुसार वनोपज के काष्ठागारों से निर्वर्तन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करने के लिये गठित की गई रेड्डी समिति के द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं पर राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करता है :—

14.1. अवरोध दरों के निर्धारण की प्रक्रिया :—

अवरोध दरों का निर्धारण करते समय पूरे एक वर्ष में प्राप्त औसत दरों के आधार पर अवरोध मूल्य निर्धारित किया जाये एवं वर्ष में एक बार ही अवरोध दर निर्धारित की जाये ।अवरोध दरों की नई प्रक्रिया दिनांक 1.4.2003 से लागू की जाती है ।

14.2. अवरोध दर पर इमारती लकड़ी का प्रदाय:—

विक्रय डिपो से किसी लाट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधी बिक्री की जा सकती है । विक्रय डिपो से लाट के सीधी बिक्री के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) को अधिकृत किया गया ।

14.3. वनमण्डलाधिकारी एवं वनसंरक्षकों को सागौन लकड़ी के विक्रय के अधिकार में वृद्धि :—

प्रथम नीलाम में अवरोध दर से कम मूल्य पर विक्रय करने हेतु वनमंडलाधिकारी तथा वन संरक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । द्वितीय नीलाम से वनमण्डलाधिकारी को 10 प्रतिशत तथा वन संरक्षक को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(के0पी0 सिंह)

पदेन उप सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग

o/c

पृष्ठां क्रमांक/समिति/11/2002/975 भोपाल दिनांक 23.11.2002

प्रतिलिपि:— 1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वन विभाग ,भोपाल

2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म0प्र0 ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 30—10—2002 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(के0पी0 सिंह)

पदेन उप सचिव

म0प्र0 शासन, वन विभाग

o/c

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनॉक 30–11–2002

क्रमॉक/निर्वर्तन/2002/ 4355

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश

विषयः— नीलाम में डिपो से अपसेट प्राईज पर ईमारती लकड़ी की सीधी बिकी।

*****

राष्ट्रीयकृत वन उपज अंतर्विभागीय समिति की बैठक दिनॉक 30.10.2002 में डिपो से अवरोध मूल्य पर लकड़ी की सीधी बिकी के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

" प्रथम बार नीलामी में जो लाट अवरोध मूल्य या उससे ऊपर की कीमत पर निर्वर्तित नहीं होपाये ऐसे लाट अवरोध मूल्य पर डिपो से सीधे निर्वर्तन किया जावे।"

उक्त व्यवस्था क्रियान्वित करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:—

1— प्रत्येक लाट के लिये निर्धारित अवरोध मूल्य पर डिपो से लाट का प्रदाय किसी भी उपभोक्ता, व्यापारी संस्थान आदि को किया जा सकेगा।

2— अवरोध मूल्य के ऊपर समय समय पर नियमानुसार समस्त करों की वसूली भी यथावत की जाएगी।

3— नीलाम के लिये निर्धारित तिथि को नीलाम समाप्ति की घोषणा के तत्काल पश्चात से आगामी नीलाम तिथि के 10 दिन पूर्व तक अपसेट प्राईज पर लाट की सीधी बिकी की व्यवस्था रहेगी। आगामी नीलाम तिथि के 9 दिन पूर्व से निर्धारित आगामी नीलाम तिथि तक यह व्यवस्था स्थगित रहेगी।

4— कोई भी इच्छुक केता वनमण्डल कार्यालय में अथवा संबंधित काष्ठागार कार्यालय में अवरोध मूल्य पर लकड़ी के लाट कय हेतु प्रत्येक काष्ठागार में सीधी विक्री हेतु उपलब्ध लाटों की सूची एवं उसका अवरोध मूल्य कार्यालयीन समय में देख सकता है। काष्ठागार में ऐसे लाट के निरीक्षण की सुविधा कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी।

क्रेता जिस लाट को क्रय करना चाहता है, उसका सम्पूर्ण क्रय मूल्य निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार जमा करते हुए वनमण्डल कार्यालय में आवेदन देगा। उक्त आवेदन पर वनमण्डलाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप वनमण्डल अधिकारी/ सहायक वन संरक्षक) प्रथम आवे प्रथम पावे के सिद्धान्त पर लाट की विक्रय स्वीकृति एवं कार्य आदेश एक साथ जारी कर देगा। यह आदेश यथासंभव उसी दिन अथवा असामान्य परिस्थिति में अगले दिन जारी किया जावेगा। इस आदेश के आधार पर क्रेता काष्ठागार में जाकर लकड़ी उठा सकेगा। किसी भी नीलाम में जो लकड़ी निर्वर्तित हो जाती हैं उनको मटेरियल लिस्ट से हटाया जाकर शेष लकड़ियों को सीधे विक्रय के लिये उपलब्ध रखा जाएगा। अगले नीलाम के 10 दिन पहले मटेरियल लिस्ट तैयार होगी, जिसमें नीलाम से 10 दिन पहले तक अविक्रीत समस्त लाट आगामी नीलाम में प्रस्तावित होंगे।

6. डिपो से इमारती लकड़ी की सीधी बिक्री में अपसेट प्राईज पर सीधी बिक्री से विक्रय किये गये लाटों पर डिपो विक्रय की समस्त शर्तें (शर्त क्रमांक 1 (a), (b) एवं 2 (a) एवं 2 (b) तक को छोडकर) लागू होगी। प्रत्येक डिपो हेतु अपसेट प्राईज पर विक्रय की गई काष्ठ का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा।

7. यह व्यवस्था दिनॉक 10.12.2002 से प्रारंभ की जाएगी तथा अगामी आदेश तक जारी रहेगी। दिनाक 10–12–2002 से पूर्व के समस्त नीलामों की काष्ठ हेतु भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। समस्त वन संरक्षक तथा उनके अधीनस्थ वन मंडल अधिकारी उपरोक्त सुविधा का प्रचार प्रसार करें।

(डॉ० पी.पी.गंगोपाध्याय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र०भोपाल

पृ०क०/निर्वतन/2002/ भोपाल,दिनॉक

प्रतिलिपिः–

1 समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2. समस्त मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

क्षेत्रीय वनसंरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल

तत्काल

[illegible]/9929 बैतूल, दि0/ 5/12/02

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म०प्र०भोपाल

[illegible]

कार्यालय अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल

भोपाल दिनांक 18 / 02 / 2003

क्रमांक/निर्वतन/ 748

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) मध्यप्रदेश

विषयः— अपसेट प्राईज पर ऑफर स्वीकार करने की प्रकिया के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमांक निर्वतन/ 4355 दिनांक 30 / 11 / 2002.

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा डिपो से अपसेट प्राईज पर ऑफर करने की प्रकिया के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

इस कार्यालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि एक वन मंडल के डिपो नीलाम में एक ठेकेदार ने एक लाट अपसेट प्राईज से अधिक मूल्य पर कय किया। इससे संबंधित इ.एम.डी. उसके द्वारा जमा कर दी गई थी। चूँकि उसने नीलाम में प्रतिस्पर्धा होने के कारण अपसेट प्राईज से काफी अधिक मूल्य पर वह लॉट खरीदाँ था। इसलिये उसने इ.एम.डी. राशि राजसात करवा कर वह लाट छोड़ दिया। पश्चात इसी लॉट के लिये उसने अपसेट प्राईज पर ऑफर प्रकिया के अनुसार कय करने का ऑफर दिया।

यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अपसेट प्राईज पर आफर की प्रकिया में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि नीलाम में लॉट अविकित होना चाहिये। अतः ऐसी स्थिति में जहाँ ठेकेदार अधिक मूल्य पर कय करने के पश्चात इ.एम.डी. राजसात करवा कर पुनः अपसेट प्राईज पर ऑफर देकर लॉट कय करना चाहता है तो उसे अस्वीकृत किया जाए। प्रकिया के अनुसार यह लॉट खुले नीलाम में पुनः रखा जायेगा और उस नीलाम में यदि वह लॉट अविकित रह जाता है तब ही उसका ऑफर प्रकिया के अनुसार निर्वतन किया जा सकता है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(उत्पादन) म.प्र.भोपाल

476

25/2/03

(उत्पादन)